I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB KARNAL Year (वर्ष): 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0031 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 13/09/2022 13:29 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	12
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(b)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 13/09/2022 Time (समय): 12:18 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 009 Date and Time (दिनांक और समय): 13/09/2022 12:18 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

थाना स्टेट विजिलैंस ब्यूरो हरियाणा करनाल

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): Inspr Sachin

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1982 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	Kothi No 2260, Sec-7, SVB KARNAL, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	Kothi No 2260, Sec-7, SVB KARNAL, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	राजबख्श		Father's Name: धर्म सिंह	1. 387,Sec-15,SONIPAT,HARYANA,INDIA
2	स्वर्णा देवी		Husband's Name: राजबख्श	1. 387,Sector-15,SONIPAT,HARYANA,INDIA
3	करण चावला			1. Sirsa City,SIRSA,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

थाना स्टेट विजिलैंस ब्यूरो हरियाणा ★ करनाल मण्डल, करनाल ★

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा मे, प्रबन्धक अफसर, राज्य चौकसी ब्युरो ,करनाल मण्डल करनाल, श्रीमान जी, निवेदन है कि अभियोग संख्या 04 दिनांक 11.03.2022 धारा 7,7ए,13(1)r/w13(2) पी.सी.एक्ट, 81 रजिस्ट्रेशन एक्ट व 420,467,468,471,120 बी.भाद.स. थाना राज्य चौकसी ब्युरो करनाल अभियोग मे आरोपी विक्रम कुमार तत्तकालिन जिला नगर योजनाकार करनाल को 5,00,000/- रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया थाव आरोपी विक्रम कुमार के फर्द इंकशाफ के आधार पर आरोपी राजबख्श तत्तकालिन तहसीलदार करनाल को शामिल अनुसंधान करके पुछताछ की गई और सबूत काबिले गिरफ्तार गुजरने पर विधि अनुसार गिरफ्तार किया गया जो अनुसंधान के दौरान आरोपी राजबख्श से 5,68,000/- रुपए रिश्वत राशि बरामद हुई है ।

उपरोक्त अभियोग की तफतीश के दौरान पाया गया है कि आरोपी राजबख्श द्वारा खुद व परिवार के सदस्यो के नाम से आय के नाजायज साधनो से भ्रष्टाचारकरके निम्नलिखित चल अचल सम्पति अर्जित करने बारे पता चला है जिसका विवरण इस प्रकार है:-

(1) आरोपी राजबख्श द्वारा लड़की पल्लवी के नाम दिनांक 22-11-2019 को रीटा पत्नि कीमती लाल म0 न0 296 माडल टाउन करनाल से सन्तोष पत्नि ओमपाल गांव काबरछा तहसील उचाना जिला जीन्द व बिशन देवी पत्नी आसानन्द वासी माडल टाउन करनाल के साथ मिलकर रजिस्ट्री संख्या 8893 दिनांक 22.11.2019 अनुसार एक प्लाट 174 वर्गगज माडल टाउन करनाल मे स्टाम डयुटि सहित मुबलिग 46,20,000/- रुपए मे खरीद किया हुआ है जिसमे राजबख्श की लडकी पल्लवी का 35 प्रतिशत हिस्सा है

(2) आरोपी राजबख्श ने अपनी पत्नी स्वर्णा देवी के नाम गांव निगदु जिला करनाल में श्वेता मेहता पत्नी अंकुर मैहता वासी न्यायपुरी करनाल के साथ मिलकर सचिन पुत्र दर्शन लाल वासी माडल टाउन पानीपत से 16 कनाल 9 मरले भूमि 56,14,000/- रूपये में रजिस्ट्री न. 4104 दिनांक 18-10-2021 अनुसार खरीद की हुई है

(3) श्वेता पत्नी अंकुर मैहता द्वारा द्वारा रजिस्ट्री न.4397 /1 दिनांक 2.11.2021 अनुसार 20 कनाल 8 मरले निगदु जिला करनाल में खरीद की हुई है तथा जी.पी.ए. प्रलेख न. 526 दिनांक 14.12.2021 अनुसार श्वेता द्वारा 20 कनाल 8 मरले जमीन निगदु जिला करनाल में से 10 कनाल 4 मरले का अधिकार राजबख्श के लडके निखिल को दिया हुआ है जिसके द्वारा इस जमीन पर कलोनी काटने बारे पता चला है ।

(4) आरोपी राजबख्स द्वारा पत्नी स्वर्णा देवी के नाम प्लाट न . 72 ए.एल प्रोप्रटी आई डी. न. 123C358U492 अनुसार व प्रलेख न. 3194 दिनांक 13.06.2019 अनुसार 202 वर्ग गज का माडल टाउन करनाल में 48,83,613/- रुपए में खरीद किया हुआ है।

(5) राजबख्श ने पत्नी स्वर्णा देवी वासी मकान न. 387 सैक्टर 15 सोनीपत के नाम सुषमा रानी पत्नी अनुप सिंह वासी मकान न. 6 बैंक कलोनी माल रोड करनाल से प्रलेख न. 9331दिनांक 9.08.2021अनुसार 8 कनाल । मरला कृषि भुमि गांव उचाना में 73,96,200 रुपए मे खरीद की हुई है ।

(6) आरोपी राजबख्श ने अपने लडके निखिल वासी मकान न. 387 सैक्टर 15 सोनीपत के नाम प्रलेख न.23167 दिनांक 21.01.2022 अनुसार अल्फा

सिटी करनाल में एक प्लाट न.एफ 71मुबलिग 19,47,911/- रुपए मे खरीद किया हुआ है।

(7) राजबख्श ने अपने लडके निखिल वासी मकान न. 387 सैक्टर 15 सोनीपत के नाम प्रलेख 7040 दिनांक 26/07/2021 अनुसार मु.3,74,500/- में एक प्लाट गांव नगला मेघा जिला करनाल मे नरेश कुमार वासी नगला मेघा से खरीद किया हुआ है ।

(8) राजबख्श ने अपनी लड़की सिल्की अरोडा के नाम पर प्रलेख न. 6680 दिनांक 06.10.2017 के अनुसार सी.एच.डी.सीटी करनाल में प्लाट न. टी.बी.344 खरीद करने का एग्रीमैन्ट 31,22,450/- रुपए स्टाम डयुटि 1,59,570/- रुपए में किया हुआ है ।

(9) राजबख्श ने लडके निखिल वासी मकान न. 387 सैक्टर 15 सोनीपत के नाम पर प्रलेख 17936 दिनांक 25.10.2021अनुसार नरेश कुमार पुत्र अगर सिहं वासी 413/6 अर्बन इस्टेट करनाल से एक प्लाट रकबा /गांव नगला मेघा जिला करनाल में 70,000/-मय स्टाम 4900/- रुपए में खरीद किया हुआ है

(10) आरोपी राजबख्श ने पत्नी स्वर्णा देवी के नाम पर अल्फा सीटी करनाल सैक्टर 28 ए करनाल में एक प्लाट 102 वर्ग गज का खरीद रजिस्ट्री न. 3768 दिनांक 25.06.2021अनुसार 20,44,900/- खरीद किया हुआ है।

(11) राजबख्श ने पत्नी स्वर्णा देवी के नाम दिनांक 18.06.2007 को प्लाट न.387 सैक्टर 15 सोनीपत 393 वर्गगज का50 लाख रुपए में खरीद किया हुआ है।

(12) राजबख्श ने पत्नी स्वर्णा देवी के नाम पर दिनांक 18.05.2007 को मकान न 446 सैक्टर 15 सोनीपत 393 वर्ग गज का 50 लाख रुपए में खरीद किया हुआ है।

(13) राजबख्श ने पत्नी स्वर्णा देवी के नाम पर जगबीर कल्याण वासी कुटेल से गांव काछवा जिला करनाल में लगभग 12 एकड कृषि भूमि खरीद करने का ईकरार -नामा दिनांक 26.11.2021 को 49 लाख लाख 31 हजार रूपये प्रति एकड की दर से 6,16,37,500/- रुपए में करके एक करोड पचास लाख रुपए बतौर ब्याहना दिए हुए है।

(14) राजबख्श ने पत्नी स्वर्णा देवी वासी मकान न. 387 सैक्टर 15 सोनीपत के नाम पर दिनाक 10-03-2022 को माडल टाउन करनाल मे मकान न. 565/1 माडल टाउन करनाल को खरीदने का एग्रीमैन्ट 62,900 रूपये प्रति वर्गगज के हिसाब से 5 करोड 66 लाख 10 हजार रूपये में सिकन्दर व कंवर सन्धु वासी माडल टाउन करनाल के साथ करके पचास लाख रुपए बतौर ब्याहना दिए हुए है।

(15) राजबख्श ने एक क्रेटा कार नम्बर एच आर 12 डी. 0003 खुद के नाम से 16 लाख रुपए में खरीद की हुई है व पत्नी स्वर्णा देवी के नाम से कार मार्का वेरना एच. आर. 10 ए 0007 मुबलिग 8 लाख रुपए खरीद की हुई है

(16) आरोपी राजबख्श द्वारा तीन करोड रुपए आरोपी विक्रम कुमार के माध्यम से ए.आर.वी.बिल्डर करनाल के पास निवेश किए हुए है जिसकी आरोपी विक्रम कुमार ने अपने फर्द इंकशाफ में पुष्टि की है व सोहन सिंह ए.आर.वी बिल्डर करनाल ने दिनांक 18.04.2022 को दर्ज करवाए गए कथन 164 द.प्र.स. में विक्रम कुमार से 10,91,00,100/- लेने माने है।

(17)हर्षदीप वासी निगधु से 2.25 एकड जमीन स्वर्णा पत्नी राजबख्श के नाम 2.25 करोड मे ईकरानामा किया हुआ है जिसमे बीस लाख रूपये चैक स्वर्णा देवी से व 30 लाख रूपये पल्लवी व स्वर्णा के खातो से कुल 50 लाख रूपये दिये गये है तथा 1करोड 30 लाख रुपये नकद दिये गए है।

(18)राजबख्श द्वारा एक स्वीफट कार अपनी लड़की सिल्की अरोडा के नाम पर 4,50,000/- रुपए में खरीद की हुई है।

(19) राजबख्श द्वारा गांव फरवई जिला सिरसा में 130 कनाल कृषि भुमि 70,00,000/- लाख रुपए में खरीद की हुई है।

(20) राजबख्श द्वारा 55 तोले सोना खरीद किया हुआ है जिसकी किमत 50,000*55—27,50,000/-बनती है।

(21) आरोपी राजबख्श द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान ए.डी.सी. कलोनी में एक मकान 8,00,000/- रुपए में खरीद किया हुआ है।

(22) राजबख्श द्वारा बदारगढ जिला झज्जर में एस.सी.ओ. न. 24 सैक्टर 9 ए में 45,00,000/- रुपए में वर्ष 2013 में खरीद किया हुआ है ,तथा लगभग 5 लाख रुपए की जीवन बीमा पोलसियां ली हुई है व 5 लाख रुपए का फर्नीचर खरीद किया हुआ है।

(23) आरोपी राजबख्श द्वारा लगभग 30,00,000/- रुपया अपनी बडी लड़की की शादी पर खर्च किया गया है।

(24)राजबख्श के भारतीय स्टेट बैंक के संख्या 10920369115 की स्टेटमैन्ट अनुसार दिनांक01.01.2019 से 12.03.2022 तक 79,03,794/- रुपए की निकासी व 48,32,645/- रुपए जमाहोने पाए गए है।

(25)स्वर्णा देवी पत्नी राजबख्श के बैंक ऑफ इण्डिया के बैंक खाता संख्या 672410110001409की स्टेटमैन्ट अनुसार दिनांक 01.01.2019 से 15.03.2022 तक 2,78,70,395/- रुपए कीनिकासी व 2,88,48,743/-रुपए जमा होने पाए गए है।

(26)स्वर्णा देवी पत्नी राजबख्श के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या 562010068090 की स्टेटमैन्टअनुसार दिनांक 14.01.2019 से 10.11.2021 तक 31,03,829/- रुपए की निकासी व 14,71,157/-रुपए जमा होने पाए गए है।

(27)स्वर्णा देवी पत्नी राजबख्श के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या 5967000100006570 की स्टेटमैन्ट अनुसार दिनांक 10.01.2019 से 06.03.2022 तक 2235/- रुपए की निकासी व 2259/- रुपए जमा होने पाए गए है।

(28)पल्लवी अरोडा पुत्री राजबख्श के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या 59670001000062200 की स्टेटमैन्ट अनुसार दिनांक 10.01.2019 से 14.03.2022 तक 1,19,86,735/- रुपए की निकासी व 60,80,298/-रुपए जमा होने पाए गए है।

(29)सिल्की अरोडा पुत्री राजबख्श के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या 6617000100007900 की स्टेटमैन्ट अनुसार दिनांक 10.01.2019 से 06.03.2022 तक 5,84,546/- रुपए की निकासी व 466/- रुपए जमा होने पाए गए है।

(30)आरोपी राजबख्श के दामाद करण चावला के एच.डी.एफ.सी.बैंक खाता संख्या 50200037165966 की स्टेटमैन्ट अनुसार दिनांक 26.02.2019 से 21.12.2021तक 18,06,24,139 रुपए की निकासी व 18,06,24,139 रुपए जमा होने पाए गए है।

इस प्रकार आरोपी राजबख्श तत्कालिन तहसीलदार करनाल द्वारा 13,46,38,044/- रुपए की अवैध सम्पति एकत्रित व राशि निवेश करनी पाई गई है । जबकि आरोपी राजबख्श की जिला करनाल में बतौर तहसीलदार वर्ष 2019 से 2022 तैनाती के दौरान की तनख्वाह से आमदनी 24,67,111/- रुपए होनी पाई गई है जिसका चालीस प्रतिशत बचत लाभ देने पर आमदनी 9,86,844/- रुपए होनी पाई गई है जो आरोपी राजबख्श द्वारा जायज आय से अधिक की चल अचल सम्पति अर्जित करने बारे पता चला है जबकि राजबख्श की पत्नी गृहिणी है जिसकी आमदनी के कोई निजी/स्वतन्त्र स्रोत होने नहीं पाए गए है और राजबख्श के पुत्र , पुत्रीयो के भी निजी आय के कोई स्रोत होने नहीं पाए गए है ।

आरोपी राजबख्श द्वारा अपनी नौकरी के दौरान अपनी जायज आय के अतिरिक्त नाजायज आय से अपने व परिवार के सदस्यो के नाम काफी चल अचल सम्पति बनाने बारे पता चला है और रिश्वत की मोटी रकम कलोनी काटने में कलोनाईजरो के साथ निवेश करने बारे

मालूम हुआ है।उपरोक्त के अलावा भी आरोपी राजबख्श द्वारा काफी नामी-बेनामी सम्पति बनाने बारे पता चला है।

आरोपी राजबख्श तत्कालिन तहसीलदार करनाल पुत्र धर्म सिंह वासी मकान न. 387 सैक्टर 15 सोनीपत हाल मकान न. 66 नजदीक आई.टी.आई.चौंक करनाल के विरुद्ध धारा 13(1)(b) r/w 13(2) भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 के तहत अभियोग दर्ज करके अनुसंधान हेतु धारा 17 ए पी.सी.एक्ट 1988 के तहत अनुमति लेने के लिए पत्र क्रमांक 2479 दिनांक 13.07.2022 अनुसार महानिदेशक राज्य चौकसी ब्युरो हरियाणा पंचकुला को लिखा गया था जो अब पत्र क्रमांक 12965/I-5/SVB(H)Panchkula दिनांक 09.08.2022 अनुसार महानिदेशक राज्य चौकसी ब्युरो हरियाणा पंचकुला द्वारा उपरोक्त मामले को मंजुर किया गया है जो उपरोक्त मामले मे तहरीर लिखी जाकर राजबख्श, स्वर्णा देवी व करण चावला उपरोक्त के विरुद धाराधीन 12,13(1) (b) r/w 13(2) भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 के तहत अभियोग अंकित किया जाकर अभियोग की स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियो के पास भिजवाई जावे। अभियोग अंकित करके अभियोग का आगामी अनुसंधान किसी अन्य अनुसंधान अधिकारी को दिया जावे। Sd/- Sachin निरीक्षक सचिन राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल दिनांक 13-9-2022 अज थाना:- उपरोक्त तहरीर पर कायमी मुकदमा नं0 मु0न0 31 Dt13-9-2022 धारा 12, 13(1)(b) r/w 13(2) भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 थाना रा0चौ0ब्यू0 करनाल मण्डल, करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्पयूटरकृत प्रतिया तैयार करके मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट अफसरान बाला वा डयूटी मैजिस्ट्रेट साहब करनाल को बजरियां E-Mail सूचना दी गई । नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर को अफसरान बाला के आदेशानुसार आगामी अनुसन्धान हेतू श्री नरेन्द्र कुमार, ह0पु0से0, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल को आगामी तफतीश करने हेतु हवाले की जा रही है उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक सचिन न0 228/RR की हाजरी में दर्ज रजिस्ट्रर किया गया है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Narender **Rank (पद):** Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): HPS **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): SACHIN
Rank (पद): INSPECTOR
No. (सं.): 228/RR

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1965				Is pox pitted: Yes
2	Female	1967				Is pox pitted: Yes
3	Male	1982				Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

थाना स्टेट विजिलैंस ब्यूरो हरियाणा ★ करनाल मण्डल, करनाल ★

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए को)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)